बहादुरसिंह बनाम संतोषी स्वान
दावा

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4-3-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। प्रा० पत्र O7 R11 C.P.C. पर पुनः बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 14-3-2015 को पेश हो। 14-3-2015 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखा जा सका। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 19-3-2015 को पेश हो। 19-3-2015 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। वादी का दावा बार्ड बाई ला है फलस्वरूप प्रा०पत्र O7R11 C.P.C. स्वीकार किया जाकर दावा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
70/2010	25.06.2010	19.03.2015

बहादुरसिंह पुत्र रामखिलाडी जाति गुर्जर निवासी थली तहसील गंगापुरसिटी ——वादी

बनाम

1. संतोषी खान पुत्र मीरू खान, मुसलमान निवासी दशहरा मैदान गंगापुर सिटी
2. रामखिलाडी पुत्र छीतर, गुर्जर निवासी थली तहसील गंगापुर सिटी
3. अमरसिंह पुत्र रामखिलाडी, गुर्जर निवासी थली तहसील गंगापुर सिटी
4. श्रीमती विमला पुत्री रामखिलाडी पत्नि रामराज जाति गुर्जर निवासी थली तहसील गंगापुरसिटी हाल निवासी ग्राम लाख ढाणीं रिवाली तहसील बामनवास
5. रामप्रसाद पुत्र छीतर, गुर्जर निवासी थली तहसील गंगापुर सिटी
6. रामसहाय पुत्र छीतर, गुर्जर निवासी थली तहसील गंगापुर सिटी
7. कल्याण पुत्र छीतर, गुर्जर निवासी थली तहसील गंगापुर सिटी
8. चिरंजी पुत्र बुधराम, मीना निवासी सलोना तहसील गंगापुर सिटी
9. लौहड्या पुत्र बुधराम, मीना निवासी सलोना तहसील गंगापुर सिटी
10. मन्तू पुत्र कंवरया, मीना ग्राम सलोना तहसील गंगापुर सिटी
11. मस्त्या पुत्र कंवरया, मीना ग्राम सलोना तहसील गंगापुर सिटी
12. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन

उपस्थितः— श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री भागचन्द पल्लीवाल, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम थली में भूमि ख0नं0 60 रकबा 1.27 हैक्टर वादी के बाबा स्व0 छीतर पुत्र सेडू गुर्जर की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही है यानि यह भूमि पैत्रक है। वादी के बाबा छीतर की मृत्यु हो चुकी है। राजस्व रेकार्ड में भूमि का इन्द्राज चिरंजी, लौहड्या पुत्रगण बुधराम, मन्तू, मस्त्या पुत्रगण कंवरया मीना साकिन सलोना हिस्सा बराबर, रामप्रसाद, रामसहाय, रामखिलाडी, कल्याण पुत्रान छीतर हिस्सा 4/5 जाति गुर्जर निवासी साकिन देह खातेदार दर्ज है। इस प्रकार वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 2 रामखिलाडी के नाम हिस्सा 1/5 दर्ज है। चूंकि भूमि पैत्रक है इसलिए भूमि में वादी जन्म से ही काबिज खातेदार काश्तकार है। वर्तमान में भी वादी उक्त भूमि पर काबिज है। प्रतिवादी रामखिलाडी के दो पुत्र हैं जिनमें एक पुत्र वादी बहादुरसिंह व दूसरा पुत्र प्रतिवादी अमरसिंह है तथा एक पुत्री प्रतिवादी विमला है। चूंकि सम्पूर्ण भूमि में 1/5 हिस्सा है इसलिए वादी तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4 का बाबा छीतर के पोता, पोती होने के कारण भूमि में शुरू से ही वादी का कब्जा व अधिकार है। पक्षकारान का अभी कोई बंटवारा नहीं हुआ है। वादी के पिता प्रतिवादी नं0 2 घुमक्कड किस्म के इन्सान हैं जिन्हें परिवार के लालन पालन की कभी कोई चिन्ता नहीं रही है । धन का अनावश्यक अपव्यय करना उनका स्वभाव है तथा धन प्राप्ति के नये नये तरीके ढूंढते रहते हैं। भूमि पैत्रक है, भूमि में वादी का हिस्सा है एवं वादी भूमि पर काबिज है इसलिए प्रतिवादी नं0 2 को भूमि बेचने का कोई अधिकार नहीं है। भूमि बेचने के लिए कोई पारिवारिक आवश्यकता भी नहीं है। वादी के पिता रामखिलाडी ने चुपचाप ख0नं0 60 रकबा 1.27 हैक्टर में से हिस्सा 1/5 भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 8.6.2010 को प्रतिवादी नं0 1 संतोषी खान को विक्रय कर दी तथा विक्रय पत्र में अंकित किया है कि

रामखिलाडी व उनके पुत्रों का कब्जा है। ऐसी स्थिति में 1/5 भूमि पर सन्तोषी खान का कब्जा कराए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। दिनांक 21.6.2010 को प्रतिवादी नं0 1 ने वादी से कहा कि मैं भूमि पर कब्जा करूंगा व नामान्तरकरण अपने हक में खुलवाऊंगा तब वादी को विक्रय की जानकारी हुई । वादी ने तहसील ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की नकल 21.6.2010 को प्राप्त की । वास्तव में तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 8.6.2010 विरूद्ध वादी कानून शून्य व प्रभावहीन है व इसके आधार पर प्रतिवादी नं0 1 संतोषी खान को किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर घोषणां इस आशय की प्रदान की जावे कि ग्राम थली स्थित भूमि ख0नं0 60 रकबा 1.27 हैक्टर पैत्रक भूमि है जिसमें वादी का हिस्सा व कब्जा है तथा वादी उक्त भूमि में खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने व विभाजन कराने का अधिकारी है तथा घोषणां इस आशय की प्रदान की जावे कि विक्रय पत्र दिनांक 8.6.2010 ब मुकाबले वादी शून्य व प्रभावहीन है। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे ग्राम थली स्थित भूमि ख0न0 60 रकबा 1.27 हैक्टर में 1/5 हिस्से की भूमि में वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल नहीं दे तथा उक्त भूमि को रहन वय या अन्य प्रकार से अन्तरित नहीं करे तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखे।

इस दावे के जबाब में प्रतिवादी संतोषी खान ने अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि पैत्रक भूमि नहीं है। वादी भूमि का खातेदार टीनेन्ट नहीं है और न ही वादी का भूमि पर कब्जा है। प्रतिवादी रामखिलाडी 1/5 हिस्से का कब्जेदार खातेदार टीनेन्ट रहा है जिसने अपने हिस्से को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 8.6.2010 द्वारा प्रतिवादी को विक्रय कर कब्जा प्रतिवादी को संभला दिया है। वादी का इस भूमि से कोई वास्ता नहीं है। प्रतिवादी रामखिलाडी अपने परिवार का पालन पूर्ण जिम्मेदारी से कर रहा है। परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही प्रतिवादी रामखिलाडी ने वादग्रस्त भूमि में अपने 1/5 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 1 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 8.6.2010 को विक्रय किया है। इस तथ्य का उल्लेख उसने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में भी स्पष्ट रूप से किया है। भूमि का कब्जा प्रतिवादी को दिया है जिसका भी उल्लेख रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में किया है। मौके पर प्रतिवादी संतोषी खान का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर लगातार चला आ रहा है। प्रतिवादी रामखिलाडी द्वारा प्रतिवादी सन्तोषी खान के पक्ष में वादग्रस्त भूमि का दिनांक 8.6.2010 को किया गया विक्रय पूर्ण रूप से विधि सम्मत है। खरीदी गई वादग्रस्त भूमि पर खरीद के दिन से ही प्रतिवादी संतोषी खान का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादिया विमला अपने ससुराल रहती है इसलिए वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 वादग्रस्त भूमि के कभी सहखातेदार टीनेन्ट नहीं रहे हैं न अब हैं तथा वे आवश्यक पक्षकार भी नहीं है। वादी को मिन जबाबदार के विरूद्ध कभी कोई वादकारण पैदा नहीं हुआ है। दिनांक 8.6.2010 के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शून्य व प्रभावहीन घोषित करने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को है, इस राजस्व न्यायालय को नहीं है। जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि दिनांक 8.6.2010 को प्रतिवादी रामखिलाडी द्वारा प्रतिवादी संतोषी खान के पक्ष में किया गया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपखण्डित है उसे सिविल न्यायालय में ही चैलेन्ज किया जा सकता है। उक्त विक्रय पत्र अपखण्डित रहते हुए वादी का यह दावा चलने योग्य नहीं है और इस आधार पर खारिज होने योग्य है। वादग्रस्त भूमि पर दावे के दिन व दावे से पहले वादी का कब्जा नहीं था और अब भी नहीं है। वादी द्वारा किया गया स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष इस ... खारिज होने योग्य है। बिना सहखातेदार हुए वादी को विभाजन का

वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2066 से 2069, नकल खातौनी जमाबंदी भू-प्रबन्ध विभाग, नकल विक्रय पत्र दिनांक 8.6.2010 पेश किए हैं।

उपरोक्त उनवानी दावे में प्रतिवादी संतोषी खान की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 इस आशय का पेश किया गया कि वादी ने उपरोक्त उनवानी वाद पत्र बाबत् घोषणां खातेदारी व विभाजन तथा विक्रय पत्र दिनांक 8.6.2010 मुकाबले वादी शून्य व प्रभावहीन घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया है। राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र शून्य घोषित करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है। किसी भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त एवं शून्य घोषित करने का अधिकार क्षेत्र सिविल कोर्ट को ही प्राप्त है। जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सिविल कोर्ट द्वारा निरस्त नहीं करवा दिया जाता है तब तक वादी के भूमि मुतदाविया के बाबत दावा विभाजन व घोषणां खातेदारी पेश करने एवं इस प्रकार की कोई भी रिलीफ प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी नहीं है। प्रस्तुत वाद वार्ड वाई ला होने के कारण चलने योग्य ही नहीं है। अतः वादी का वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

इस प्रार्थना पत्र के जबाब में वादी ने अंकित किया है कि प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र निराधार प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत दावा बाबत् घोषणां, स्थाई निषेधाज्ञा, विभाजन कृषि भूमि से सम्बन्धित है तथा बमुकाबले वादी विक्रय पत्र को शून्य व प्रभावहीन प्रस्तुत न्यायालय द्वारा घोषित किया जा सकता है। प्रकरण में तनकियात कायम होंगी उसके बाद साक्ष्य होगी उसके बाद समस्त बिन्दुओं का निस्तारण होगा । वादी का दावा वार्ड वाई ला नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादी खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रतिवादी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि भूमि प्रतिवादी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद की है एवं वह भूमि का काबिज काश्तकार है। भूमि पर कब्जा प्रतिवादी का ही है। वादी ने इस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शुन्य व प्रभावहीन घोषित करने हेतु यह दावा पेश किया है जो राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नहीं है क्योंकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय द्वारा ही शुन्य व प्रभावहीन घोषित किया जा सकता है। इसलिए वादी का दावा वार्ड वाई ला है फलस्वरूप दावा खारिज फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में वकील प्रतिवादी ने न्याय दृष्टान्त आर0आर0डी0 1983 पेज 676, आर0आर0डी0 1991 पेज 321, आर0आर0डी0 1992 पेज 212, आर0आर0डी0 1988 पेज 611, डी0एन0जे0 2013 (3) राज0 पेज 1112, डी0एन0जे0 2013(1) राज0 पेज 358, डी0एन0जे0 2008 सुप्रीम कोर्ट पैरा 12 प्रस्तुत किए हैं।

वादी के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 8.1.2007 के अनुसार वादी का दावा राजस्व न्यायालय में चलने योग्य है। इसके अतिरिक्त वादी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त नहीं कराना चाहता है सिर्फ शुन्य व प्रभावहीन घोषित कराना चाहता है। इस न्यायालय को यह दावा सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अपने कथन के समर्थन में वकील वादी ने न्याय दृष्टान्त आर0आर0टी0 2011(2) पेज 788 (डी0बी0), आर0आर0डी0 2012 पेज 492 हाईकोर्ट, आर0आर0डी0 2000 पेज 391 प्रस्तुत किए हैं।

रिबटल में वकील प्रतिवादी ने तर्क दिया कि न्याय दृष्टान्त विभागीय परिपत्र से ऊपर है। सेलडीड निरस्ती के बिना कोई घोषणां या विभाजन नहीं हो सकता है। वादी की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त इस मामले में लागू नहीं होते हैं क्योंकि इन न्याय

दृष्टान्तों के तथ्य दावे के तथ्य से भिन्न हैं। वादी की रूलिग्स सिंगल बैंच की है जबकि हमारी रूलिंग डबल बैंच व फुल बैंच की है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रतिवादी रामखिलाडी ने प्रतिवादी संतोषी खान को अपनी 1/5 हिस्सा की कृषि भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 8.6.2010 विक्रय की है । इस विक्रय पत्र को दोनों ही पक्ष स्वीकार करते हैं एवं यह विक्रय पत्र आज भी अपखण्डित है। सिविल प्रक्रिय संहिता के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानो में दावा खारिज करने के जो प्रावधान वर्णित है उनमें एक प्रावधान दावा वार्ड वाई ला होने पर खारिज करने का भी है। प्रस्तुत मामले में वादी ने दावा जो प्रस्तुत किया है उसमें खातेदारी घोषणां के साथ ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 8.6.2010 को शुन्य व प्रभावहीन घोषित करने की भी मांग की है। प्रतिवादी की ओर से जो न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किए गए हैं उनका हमारे द्वारा गहनता से अध्ययन किया गया । इन न्याय दृष्टान्तो में मुख्य रूप से यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विक्रय पत्र निरस्त होने के बाद ही राजस्व न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष दिया जा सकता है एवं यह निरस्तीकरण केवल सिविल कोर्ट द्वारा ही किया जा सकता है।

जहां तक वादी के विद्धान वकील द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का प्रश्न है, इन न्याय दृष्टान्तों का गहनता से अध्ययन करने के बाद स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तो में जो तथ्य अंकित हैं वे वादी के वाद से मेल नहीं खाते हैं अर्थात वर्तमान वाद के एवं न्याय दृष्टान्तो में वर्णित मुकदमों के तथ्य विपरीत हैं फलस्वरूप ये न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

इस प्रकार हम प्रतिवादी संतोषी खान के विद्धान वकील द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों से सहमत हैं एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को वार्ड वाई ला पाते हैं फलस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का दावा वार्ड वाई ला है फलस्वरूप प्रतिवादी संतोषी खान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है एवं वादी का दावा वार्ड वाई ला होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03..2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

उनवान

बहादुरसिंह पुत्र रामखिलाडी जाति गुर्जर निवासी थली तहसील गंगापुरसिटी —वादी

बनाम

1. संतोषी खान पुत्र मीरू खान, मुसलमान निवासी दशहरा मैदान गंगापुर सिटी
2. रामखिलाडी पुत्र छीतर, गुर्जर निवासी थली तहसील गंगापुर सिटी
3. अमरसिंह पुत्र रामखिलाडी, गुर्जर निवासी थली तहसील गंगापुर सिटी
4. श्रीमती विमला पुत्री रामखिलाडी पत्नि रामराज जाति गुर्जर निवासी थली तहसील गंगापुरसिटी हाल निवासी ग्राम लाख ढाणीं रिवाली तहसील बामनवास
5. रामप्रसाद पुत्र छीतर, गुर्जर निवासी थली तहसील गंगापुर सिटी
6. रामसहाय पुत्र छीतर, गुर्जर निवासी थली तहसील गंगापुर सिटी,
7. कल्याण पुत्र छीतर, गुर्जर निवासी थली तहसील गंगापुर सिटी
8. चिरंजी पुत्र बुधराम, मीना निवासी सलोना तहसील गंगापुर सिटी
9. लौहडया पुत्र बुधराम, मीना निवासी सलोना तहसील गंगापुर सिटी
10. नन्तू पुत्र कंवरया, मीना ग्राम सलोना तहसील गंगापुर सिटी
11. भरत्या पुत्र कंवरया, मीना ग्राम सलोना तहसील गंगापुर सिटी
12. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन

मुकदमा नं. — 70/2010

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट **मिनजानिब मुद्दई** श्री भागचन्द पल्लीवाल, एडवोकेट **मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व** उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का दावा वार्ड वाई ला है फलस्वरूप प्रतिवादी संतोषी खान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है एवं वादी का दावा वार्ड वाई ला होने के कारण खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 19.03.2015 को डिक्री जारी की गई ।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		